जनप्रतिनिधियों को कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए: भारत के उपराष्ट्रपति

...

लोकतंत्र की सफलता के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को सामंजस्य के साथ मिलकर और एकजुट होकर काम करना होगा: भारत के उपराष्ट्रपति

...

प्रौद्योगिकी की सहायता से शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करके कई चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है: राज्यपाल, राजस्थान

...

वैश्विक चुनौतियों का समाधान भारत से निकले: लोक सभा अध्यक्ष

...

वर्तमान चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अप्रचलित कानूनों के स्थान पर नए कानून लाए जाने चाहिए: लोक सभा अध्यक्ष

...

विधानमंडलों की गरिमा इस बात पर निर्भर करती है कि विधि निर्माता सदन में कैसा व्यवहार करते हैं: लोक सभा अध्यक्ष

...

डिजिटल माध्यम से विधानमंडलों को जनता से जोड़कर हम पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाएंगे और सुशासन सुनिश्चित करेंगे: लोक सभा अध्यक्ष

...

जन प्रतिनिधियों को कानूनों की जानकारी जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए: लोकसभा अध्यक्ष

...

सीपीए इंडिया क्षेत्र के पुनर्गठन से विधायी निकायों के बीच बेहतर संवाद और समन्वय में मदद मिलेगी: लोक सभा अध्यक्ष

...

जनप्रतिनिधियों को अमृत काल में राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए: अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा

...

लोक सभा अध्यक्ष ने उदयपुर में 9वें सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया

...

उदयपुर (राजस्थान); 22 अगस्त, 2023: नौवां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) भारत क्षेत्र सम्मेलन, जिसका उद्घाटन कल लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला ने किया था, आज भारत के उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति, श्री जगदीप धनखड़ के समापन भाषण के साथ संपन्न हुआ।

समापन सत्र को संबोधित करते हुए, भारत के उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति, श्री जगदीप धनखड़ ने कहा कि सीपीए भारत क्षेत्र लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों की रक्षा करने और उन मूल्यों को बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है, जिन्हें परिपुष्ट करने के लिए सी पी ए संघ प्रयासरत है। दुनिया हमें जानती है; हमारा देश लोकतंत्र की जननी हैं; हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं; विश्व के 1/6 लोग हमारे देश में रहते हैं और

हमारा लोकतंत्र दुनिया में अद्वितीय है, क्योंकि भारत में ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर, जिला परिषद स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर संवैधानिक रूप से स्थापित लोकतान्त्रिक संस्थाएं है। श्री धनखड़ ने आगे कहा कि यह मंच हमें वर्तमान में विधानमंडलों और राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत महत्वपूर्ण चुनौतियों के बारे में गहन विचार-विमर्श करने का अनूठा और अद्वितीय अवसर प्रदान करता है।

इस बात का उल्लेख करते हुए कि जन प्रतिनिधियों को लोगों का आदर्श होना चाहिए , उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनसे ऐसे आचरण की अपेक्षा की जाती है जो दूसरों के लिए अनुकरणीय हो। जब हम अपने अंतर्मन में झांकते हैं, जब हम विचार करते हैं, चिंतन करते हैं तो हमें एक चिंताजनक स्थिति दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि हमें जमीनी हकीकत पर ध्यान देना होगा। विधानमंडलों की बात करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर के रूप में विधानमंडल संवाद, विचार-विमर्श, वाद-विवाद और चर्चा के लिए होते हैं, लेकिन इन दिनों, विधायकों के कारण विधानमंडल अशांति और अव्यवस्था का केंद्र बन गए हैं। उन्होंने कहा कि इस स्थिति में, संसद और विधानमंडल अप्रासंगिक होते जा रहे हैं।

उन्होंने जन प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे कार्यपालिका की जवाबदेही और शासन व्यवस्था में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करें । जनप्रतिनिधि सबसे महत्वपूर्ण मंच पर जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जनप्रतिनिधियों के पास कार्यपालिका, सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने की शक्ति है। सरकार के तीनों अंगों के बीच सामंजस्य पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र की सफलता के लिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को सामंजस्य के साथ काम करना चाहिए, मिलकर और एकजुट होकर काम करना चाहिए। परंतु वे संसद और विधानमंडल ही है जो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनाकांक्षाओं को मूर्त रूप देते हैं ।

राजस्थान के माननीय राज्यपाल, श्री कलराज मिश्र; लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला; राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष, डॉ. सी. पी. जोशी और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ मुख्यालय के चेयरपर्सन , श्री इयान लिडेल ग्रैन्जर ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई।

राजस्थान के राज्यपाल, श्री कलराज मिश्र ने विश्व में लोकतंत्र को मजबूत करने में सीपीए की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है जो पूरी दुनिया में लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है । उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, भारत सीपीए के कार्यों के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। सम्मेलन के विषय के बारे में श्री मिश्र ने कहा कि त्वरित तकनीकी प्रगति के वर्तमान युग में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एआई जैसी विभिन्न उभरती प्रौद्योगिकियों का नैतिक ढंग से सदुपयोग किया जाए । उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी की सहायता से शासन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करके कई चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है।

देश के संघीय ढांचे में राज्यपाल की भूमिका के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए श्री मिश्र ने कहा कि राज्यपाल संविधान के संरक्षक और राज्य के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार को सहायता और सलाह देना और जनहित में कार्य करना राज्यपाल की जिम्मेदारी है। श्री मिश्र ने कहा कि विधायकों का यह कर्तव्य है कि वे लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरें और यह सुनिश्चित करें कि समाज के सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास हो ।

समापन सत्र को संबोधित करते हुए, लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला ने कहा कि दो दिवसीय सम्मेलन सफल रहा और सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श से विधानमंडलों के समक्ष प्रस्तुत वर्तमान और भावी चुनौतियों के समाधान में बहुत मदद मिलेगी । श्री बिरला ने यह भी कहा कि बदलते परिप्रेक्ष्य में, हमें अपनी संस्थाओं के अंदर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहिए ताकि हमारी संस्थाएं

प्रभावी परिणाम ला सकें। श्री बिरला ने इस बात पर भी जोर दिया कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रमुख वैश्विक चुनौतियों का समाधान भारत से निकले।

वर्तमान समय में आधुनिक कानूनों की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए, श्री बिरला ने कहा कि यदि हम अपने देश को विकास और समृद्धि के पथ पर ले जाना चाहते हैं, तो हमें वर्तमान समय की प्रासंगिकता और आवश्यकताओं के अनुरूप अप्रचलित कानूनों के स्थान पर नए कानून लाने होंगे। हम कानूनों में आवश्यक परिवर्तन करके, पारदर्शी और जवाबदेह शासन व्यवस्था के साथ लोगों के जीवन में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन करते हुए विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। श्री बिरला ने यह भी कहा कि विधानमंडल वर्तमान और भावी चुनौतियों से निपटने के लिए गहन विचार और चर्चा का मंच हैं।

श्री बिरला ने विधानमंडलों की गरिमा और मर्यादा में गिरावट पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि विधानमंडलों की गरिमा इस बात पर निर्भर करती है कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए विधि निर्माता सदन में कैसा व्यवहार करते हैं। इस संबंध में उन्होंने वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का समाधान खोजने में विधायकों की भूमिका पर प्रकाश डाला। श्री बिरला ने कहा कि जन प्रतिनिधि अपने क्षेत्रों और राज्यों के महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए सकारात्मक पहल करके और भविष्य के लिए एक व्यापक कार्य योजना विकसित करके 2047 तक भारत को समृद्ध और विकसित बनाने में योगदान दे सकते हैं। श्री बिरला ने यह भी कहा कि हमारे विधानमंडलों की गरिमा और प्रतिष्ठा तभी बढ़ेगी जब जन प्रतिनिधि देश और समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा और संवाद करेंगे। जन प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वे लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करें और उनकी समस्याओं को सरकार के समक्ष लाकर उनका समाधान करें। और, सदन में व्यवधान का सहारा लेने के बजाय, उन्हें लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए विधायिका को एक मंच बनाना चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि डिजिटल तकनीक का उपयोग करने से उनकी प्रभावशीलता में सुधार होगा और उनका काम आसान हो जाएगा।

सम्मेलन के विषय के बारे में बात करते हुए, श्री बिरला ने इस बात पर प्रकाश डाला कि डिजिटल माध्यमों से विधानमंडलों को जनता से जोड़कर, हम अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही के द्वारा सुशासन सुनिश्चित कर सकते हैं। श्री बिरला ने कहा, भारत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई विकसित देशों से आगे है और डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम भ्रष्टाचार में उल्लेखनीय कमी लाकर सुशासन लाये हैं। इस संबंध में, श्री बिरला ने पीठासीन अधिकारियों से आग्रह किया कि 'एक राष्ट्र एक विधायी मंच' को लागू किया जाए और विधायकों का क्षमता निर्माण भी किया जाए, जिससे न केवल विधानमंडलों की प्रभावशीलता और प्रभावकारिता में सुधार होगा, बल्कि विधानमंडलों और जनता के बीच की दूरी भी कम होगी। उन्होंने विधायकों से विधायी प्रभावशीलता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया कि कानून पारित होने के बाद नियम पहले बनाए जाएं ताकि कार्यान्वयन तेजी से हो सके। और, कानून निर्माताओं को विधायिका में पारित कानूनों के बारे में लोगों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि कानूनों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता इसके प्रभावी कार्यान्वयन की कुंजी है। श्री बिरला ने यह जानकारी भी दी कि कि 9वें सीपीए सम्मेलन में विधायी निकायों के बीच बेहतर संवाद और समन्वय के लिए सीपीए इंडिया रीजन जोन को नौ नए क्षेत्रों में पुनर्गठित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सीपीए इंडिया रीजन के पुनर्गठन से ज़ोन के भीतर और बाहर जन प्रतिनिधियों की व्यापक भागीदारी से सीपीए इंडिया क्षेत्र की गतिविधियों में वृद्धि होगी और लोकतांत्रिक भावना को बढ़ावा मिलेगा।

राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष, डॉ. सी. पी. जोशी ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्रतिनिधियों को सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति और लोक सभा अध्यक्ष

को भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के कार्यकरण के बारे में अपने विचार साझा करने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि पिछले दो दिनों में हुए विचार-विमर्श से विभिन्न राज्यों के प्रतिभागी पीठासीन अधिकारी लाभान्वित होंगे । चर्चा के निष्कर्ष के बारे में बात करते हुए डॉ जोशी ने कहा कि प्रतिनिधियों की सर्वसम्मत राय थी कि डिजिटल माध्यम भविष्य में सहभागी लोकतंत्र में निर्णायक भूमिका निभाएंगे और विधायकों के रूप में उन्हें अपने कार्यों की सार्वजनिक जांच के लिए तैयार रहना होगा। इसलिए, पीठासीन अधिकारी और जन प्रतिनिधि के रूप में जनप्रतिनिधियों के लिए आवश्यक है कि वे एक उदाहरण स्थापित करें और अपने कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करें। अंत में उन्होंने सभी प्रतिनिधियों से 'अमृत काल' में राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आग्रह किया ।

सम्मेलन में 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर संसद सदस्य और राजस्थान विधान सभा के सदस्य भी उपस्थित थे।